न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14/2024 (उदयपुर डिक्री)

बलवीरसिंह पिता दुर्जनसिंह मुतबन्ना श्री तख्तसिंह राजपूत, निवासी जवास, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती दशरत कुंवर पत्नी स्वर्गीय श्री तख्तसिंह राजपूत, निवासी जवास, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, खेरवाड़ा दि.
26.02.2024 प्रकरण संख्या 156/2004

———/———

उपस्थित :– 1– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री हर्षद जोशी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 03–12–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राव सा. तख्तसिंह जी पिता रतनसिंह जी भूतपूर्व मेवाड़ राज्य में ठिकाना जवास के जागीरदार थे, जिनकी चल अचल संपत्ति व कृषि भूमि वणीबोर, बावल वाड़ा, जुथरी, जववा एवं अन्य स्थानों पर विद्यमान है, जो परिशिष्ट 1 से 3 व 3 (क) में दर्ज है। राव सा. तख्तसिंह जी के कोई पुत्र संतान नहीं थी तथा उन्होंने तीन शादियां की थी। पहली शादी श्रीमती बृज कुंवर उर्फ विजय कुंवर से, दूसरी शादी श्रीमती [illegible] तीसरी शादी श्रीमती

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:06 IST
Reason: SelfAttested

दशरथ कुंवर से हुई। राव सा. तख्तसिंह जी का देहावसान सन् 1980 में हो गया था तथा उसकी पत्नी जितेन्द्र कुंवर की मृत्यु उसे पूर्व ही हो चुकी थी। इस कारण पीछे दो पत्नियां श्रीमती बृज कुंवर उर्फ विजय कुंवर एवं श्रीमती दशरथ कुंवर वारिस हुई। श्रीमती विजय कुंवर ने अपने जीवनकाल में अपने पति राव सा. तख्तसिंह जी की इच्छानुसार उनके कोई संतान नहीं होने से वादी को दिनांक 16–06–2004 को जाति रिवाज अनुसार गोद रखा एवं गोदनामा पंजीबद्ध करवा दिया एवं दिनांक 21–06–2004 को वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत कर दी, जिससे वादी श्रीमती बृज कुंवर उर्फ विजय कुंवर का एक मात्र वारिस है, किन्तु श्रीमती दशरथ कुंवर ने भू अधिकारियों की मिली भगत से समस्त भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया तथा श्रीमती बृज कुंवर उर्फ विजय कुंवर का नाम दर्ज नहीं करवाया। उस वक्त विजय कुंवर अपने पीहर गुजरात में होने से इस नामान्तरकरण के लिए चाराजोही नहीं कर सकी। अतः वादी को परिशिष्ट 1 से 3 में दर्ज आराजियात में 1/2 हिस्सा वादी का तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी श्रीमती दशरथ कुंवर का घोषित किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे तथा उक्त आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने श्रीमती विजय कुंवर द्वारा दिनांक 16–06–2004 को गोद लेने का तथ्य अंकित करते हुए दिनांक 21–06–2004 को वसीयत करना बताया है। वादी स्वयं ने वाद पत्र की कलम संख्या 4 में यह स्वीकृत किया है कि राव तख्तसिंह जी के दो वारिस श्रीमती विजय कुंवर व श्रीमती विजय कुंवर हुए। ऐसी स्थिति में कथित तौर पर वादी को गोद लेने का अधिकार गुढ़ सिविल न्यायिक प्रक्रिया द्वारा विचारणीय हो सिविल न्यायालय के अनन्य क्षेत्राधिकार का विषय है। राव तख्तसिंह जी ने अपने कुलिया सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 08–11–1979 में प्रतिवादी के पक्ष में कर दी थी, ऐसी स्थिति में वर्ष 2004 में श्रीमती विजय कुंवर द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत कैसे की जा सकती है तथा विजय कुंवर को क्या अधिकार प्राप्त हुए, अकथनीय है। स्वयं विजय कुंवर ने भी राव तख्तसिंह जी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में की गयी वसीयत को स्वीकार किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:06 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार केवल खातेदार ही वसीयत करने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में विजय कुंवर द्वारा की गयी वसीयत अधिकार विहीन होने से विधि द्वारा बाधित है, जिससे वादी का वाद विधि द्वारा बाधित होने से मात्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 26–02–2024 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–03–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हर्षद जोशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर तनकियां कायम की गयी तथा प्रकरण वादी की शहादत में होने से वादी द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं की जाकर आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी के पक्ष में की गयी वसीयत को सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताते हुए हस्तगत वाद को पोषणीय नहीं बताया। जवाब में अपीलान्ट/वादी ने निवेदन किया कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के उपबन्धों के तहत ही किसी वाद को खारिज किया जा सकता है, जबकि वादी का वाद पूर्ण रूप से घोषणा का होकर माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने गोदनामें को त्रुटि पूर्ण मानते हुए वाद खारिज कर दिया, जबकि कानूनन न तो उक्त वाद गोदनामे को पारित कराने का था, न तो गोद निरस्ती का था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:06 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि वादी/अपीलान्ट ने दिनांक 21–06–2004 को अपने पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत श्रीमती बृज कुंवर उर्फ विजय कुंवर द्वारा किया जाना बताया है, जबकि राव तख्तसिंह जी द्वारा दिनांक 08–11–1979 को ही अपनी दूसरी पत्नी प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट दशरथ कुंवर के पक्ष में कर अपनी समस्त चल अचल सम्पत्तियों की वसीयत कर दी थी। ऐसी स्थिति में श्रीमती विजय कुंवर के पास वक्त वसीयत जब कोई सम्पत्ति थी ही नहीं तो उसके द्वारा वर्ष 2004 में वादी के पक्ष में वसीयत कैसे की जा सकती है ? स्वयं विजय कुंवर ने भी राव तख्तसिंह जी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में वर्ष 1979 में की गयी वसीयत को स्वीकार किया है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 अनुसार केवल खातेदार ही वसीयत करने का अधिकारी है, जबकि श्रीमती विजय कुंवर वर्ष 2004 में विवादित आरायिजात की खातेदार नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यों का एवं आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर 1955 0 Supreme (Raj) 107, 1955 0 AIR (Raj) 135 : 1955 0 RLW (Raj) 389 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। प्रकरण में हम यह पाते हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियां भी कायम की गयी हैं, किन्तु बाद में प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी के गोदनामें को संदिग्ध मानते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है। क्योंकि दिनांक 16–06–2004 को जो गोदनामा श्रीमती वृज कुंवर उर्फ विजया कुंवर द्वारा वादी के पक्ष में किया गया है वह 100/– रूपये के स्टाम्प पर होकर रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा उसके बाद दिनांक 21–06–2004 को जो वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित की गयी है वह भी 100/– रूपये के स्टाम्प पर होकर रजिस्टर्ड दस्तावेज है। ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड गोदनामें व रजिस्टर्ड वसीयत को संदिग्ध माने जाने का प्रथम दृष्टया कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उनका हमने अध्ययन किया, किन्तु उक्त न्यायिक नजीर के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 26–02–2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में कायम शुदा तनकियात पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर एवं उभयपक्षों को सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03–02–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 03–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:06 IST
Reason: SelfAttested